नं. .................................... उनवान

| हुक्म या-कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |

23/4/25

पत्रावली पेश हुई । आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है । पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है । पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 24/4/25 को पेश हो ।

आज्ञा से रीडर

24/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.) पैरोकार सरकार उप.) पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भोपालगढ़ की आराजी नं. 1498/2 वादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से क्रय की जा चुकी है। राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सं. 3279 निर्णय दिनांक 15/7/2024 से भूमि प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादिया का नाम दर्ज हो चुका है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज हो जाने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरूद्ध ही रिलीफ/अनुतोष चाहा जा सकता है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने एवं औप-चारिक पक्षकार होने से वादी द्वारा अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से वादग्रस्त भूमि क्रय कर लिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली में डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली मैसल अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। तथा नम्बर से कम हो।

24/4/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. जमनी पत्नी गोपी गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता गोपी गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सुखा पिता गोपी गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. शरीफ मोहम्मद पिता गफुरबक्ष मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
3. उप पंजीयक भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 51/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित— इस वाद में आज तारीख 24.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादग्रस्त भूमि क्रय कर लिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

24/04/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा